10.10.2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना के हाल खाता संख्या 183 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम सुगनसिंह दर्ज है जबकि सही नाम सुलतानसिंह है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड की प्रतिया लगाई है जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम सुलतानसिंह अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का एवं श्री नरेन्द्रसिंह तँवर पुत्र मूलसिंह तँवर जाति राजपूत निवासी गणेश्वर तथा विक्रमसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी गणेश्वर का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
गणेश्वर	खाता संख्या 183	सुगनसिंह पुत्र जोरावरसिंह	सुलतानसिंह पुत्र जोरावरसिंह

शेष इन्द्राजात बदस्तूंर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)